

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 613/13

संस्थापन दिनांक:-30/12/13

फाईलिंग नं. 233504001502013

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

अविनाश पिता हरि संतोष चंदेलकर

उम्र 25 वर्ष, निवासी देवगांव,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 02.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.12.2013 को रात 11:10 बजे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत प्रार्थिया का मकान ग्राम देवगांव में उसे उपहति हमला या सदोष कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं लोक स्थान या उसके समीप फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी चंद्रकला को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को सत्रांस कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.12.2013 को रात 8-9 बजे खाना खाकर सो गयी थी। तभी रात करीब 11 बजे अभियुक्त ने उसके घर आकर आवाज लगायी तो उसने जब उसके घर का दरवाजा खोलकर लाईट जलाकर देखा तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। जब वह उसके मकान का दरवाजा बंद करने लगी तो अभियुक्त हाथ मुक्के से उसके मकान की छपरी में उसे मारपीट करने लगा। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 501/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण

करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने प्रार्थिया का मकान ग्राम देवगांव में उसे उपहति हमला या सदोष कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
3. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
4. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी के साथ हाथ मुक्को से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 02, 03, 04 एवं 07 का निराकरण

5 चंद्रकलां (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसके घर के आंगन में आकर पुरानी बात पर से गंदी गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में साक्षी किशोर (अ.सा.-1) एवं भीमराव (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना के समय उन्हें चंद्रकला ने बताया था कि उसे अभियुक्त ने गाली गलौच की थी।

6 साक्षी/फरियादी चंद्रकलां (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी चंद्रकला (अ.सा.-5) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी चंद्रकला (अ.सा.-5) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 05 एवं 06 का निराकरण

8 चंद्रकला (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय रात्रि के लगभग 7 बजे वह अपने घर के आंगन में बैठी थी तभी अभियुक्त आया और विवाद करने लगा और उसे धक्का देकर चला गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त घटना दिनांक को घर के अंदर घुसा था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि वह आंगन में बैठी थी

तब अभियुक्त घर के अंदर आया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्कों से मारा था। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि केवल धक्का देकर चला गया था।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 24.12.2013 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत चंद्रकला का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ में दर्द होना पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) को प्रमाणित भी किया है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 26.12.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 501/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-4) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 स्वतंत्र साक्षी किशोर (अ.सा.-1) एवं भीमराव (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को फरियादी चंद्रकला बाई का छोटा बेटा उनके घर पर आया था और अपने घर ले गया था। साक्षीगण ने आगे यह भी प्रकट किया है कि जब वे चंद्रकलाबाई के घर पर पहुंचे थे तब उन्हें चंद्रकलाबाई ने यह बताया था कि अविनाश ने घर में आकर मारपीट की थी और चला गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने यह बताया है कि उन्होंने घटना नहीं देखी थी। जब वे फरियादी के घर पर पहुंचे थे उस समय अभियुक्त फरियादी के घर पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी हैं जिन्होंने घटना घटित होते नहीं देखी और न ही उन्हें घटना की कोई जानकारी है। अतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12 फरियादी चंद्रकला (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह आंगन पर बैठी थी और अभियुक्त पुराने विवाद पर से उसे धक्का देकर चला गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार स्वयं फरियादी चंद्रकला ने अभियुक्त के द्वारा उसकी मारपीट न किया जाना एवं घटना घर के अंदर की न होकर आंगन की होना बताया है। फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं, उसकी साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को

दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

13 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया का मकान ग्राम देवगांव में उसे उपहति हमला या सदोष कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं लोक स्थान या उसके समीप फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी चंद्रकला को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को सत्रांस कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त अविनाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)